

floods in the Indo-Gangetic Basin, mainly. It consisted of representatives of the Departments of Agriculture & Irrigation and Finance, the Planning Commission, the Central Water Commission, the Chief Conservator of Forests and the Chief Engineers of the States of Uttar Pradesh and Bihar. This Working Group had gone into this matter. They had worked on it at many meetings and, after that, they prepared this Report.

राज्यों द्वारा अन्वयोद्य योजना कार्यान्वित करना

+

* 89. श्री श्रोम प्रकाश स्वामी :

श्री राज केशर सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दवाने वाला विवरण ममा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने पिछड़े वर्गों तथा गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए अन्वयोद्य योजना को अपनाया है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत अब तक (राज्य-वार) कितने परिवारों का उत्थान किया जा चुका है ; और

(ग) सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को उक्त योजना अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्री प्रताप सिंह) : (क) अब तक छः राज्यों ने अन्वयोद्य योजना को अपनाया है।

(ख) लाभभोगियों का पता लगाने आदि से सम्बन्धित कार्य दो राज्यों (मणीपुर तथा उड़ीसा) में चल रहा है, जबकि शेष चार राज्यों में योजना

के अन्तर्गत पहले ही] सहायता प्रदान किए परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. बिहार . . .	6,840
2. हिमाचल प्रदेश . . .	18,110 (लगभग)
3. राजस्थान . . .	139,591
4. उत्तर प्रदेश . . .	23,293

(ग) अन्य राज्य सरकारों को इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है।

श्री श्रोम प्रकाश स्वामी : श्री मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उस से ऐसा लगता है कि ग्राम ने इस प्रकार का कोई स्टेप दूसरे प्रश्नों के लिये नहीं उठाया है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में अन्वयोद्य योजना के द्वारा जो गरीब लोग थे, जो निर्धन परिवार थे, अपने पतों पर बड़े हो गये। जब ग्राम ने अन्वयोद्य योजना को गरीबों के लिए लाभकर बताया है, तो ऐसी दशा में क्या दूसरे प्रान्तों में भी गरीबों के उत्थान के लिए इस योजना को लागू करने की चेष्टा की है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब अन्वयोद्य योजना को ग्राम लाभकर समझते हैं, तो क्या सरकार इस योजना को एक राष्ट्रीय स्वरूप देकर सभी प्रान्तों में इस को लागू करने के लिए तैयार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगन् प्रताप सिंह : श्रीमन्, मुख्य कारण तो यह है कि राज्य सरकारें स्वयं नहीं चाहती हैं कि सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अब नये तिर्रे से ली जाए। उन का विचार यह है कि इस प्रकार की योजना वे स्वयं चलाएँ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि छः राज्यों में पहले ही यह योजना लागू की जा चुकी है और दो और राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। मैं वह भी कहना चाहता हूँ कि ह्युपा जो इण्डेपेंडेंट इरल डेवलपमेंट

का प्रोग्राम है उस के अन्तर्गत भी यह काम किया जा सकता है। अलग से कोई योजना खाने की आवश्यकता नहीं है। उस के लिए व्यवस्था है। कोई भी राज्य सरकार, विशेष रूप से 5 परिवार या तीन परिवार छांट कर, जैसा कि भी बहू निर्णय करे, इनटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत उस काम को कर सकती है और कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने उस को यद्यपि अन्तर्बोध योजना का नाम नहीं दिया है, परन्तु काम बही कर रहे हैं।

अन्त में इनका और कहना चाहता हूँ कि काम जो हो रहा है, उस के महत्व को हम स्वीकार करते हैं और जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है, उस को सिराहना भी करते हैं।

श्री शोम प्रकाश त्वागी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का संरक्षण चाहता हूँ। मैंने सीधा प्रश्न पूछा था कि जब आप इस योजना को अच्छा मानते हैं, तो इस को राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना रूप में नहीं देते। आप कहते हैं कि इनटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट में यह आया।

MR. SPEAKER: He said about the steps which are mainly concerned with it. Second supplementary.

श्री शोम प्रकाश त्वागी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन जिन प्रान्तों ने इस महत्वपूर्ण योजना को अपने हाथ में लिया है, क्या उन प्रान्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से उन को वार्षिक दृष्टिकोण के कोई सहायता या कोई और विशेष सहायता देने के लिए आप तैयार हैं ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकें।

श्री ज्ञानु प्रताप सिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि रुरल इनटेग्रेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। उस के प्रतिरिक्त अगर कुछ चाहते हैं तो राज्य अपने साधनों से भी करेगे

SHRI D. D. DESAI: In regard to rural development which the Government has taken in hand, does it discriminate districts? Does it provide the possibility of 'food for work programme', and if so, what are the arrangements or what are the orders that the Central Government have issued to the State Governments to provide the food for work programme for the integrated rural development in districts which are considered by those States Governments as sufficiently developed, but still there are plenty of poor people in those districts also.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Integrated rural development programme is being implemented in a number of selected blocks in each State. But this 'food for work programme' is being done throughout the country. It can be used in all the blocks. There is no restriction on a number of blocks. The State Governments were requested to send their requirements of food, and all that they asked for had always been given to them for implementation of that.

श्री मू० एस० पाटिल : इरल इनटेग्रेटेड प्रोग्राम में कई आइडम्स प्रांते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं या मजदूर हैं या छोटे फार्मर्स हैं, जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उन के लिए एस० एफ० डी० और एस० एफ० ए० हैं। तो क्या उन लोगों के लिए इस के चलते वे योजनाएं भी चालू रहेंगी ?

श्री ज्ञानु प्रताप सिंह : जी हां, वह कन्टीन्यू कर रहा है।

श्री होररत्नाल पटवारी : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गैर-सरकार संगठन जैसे कि ग्रामिण भारतीय ग्राम विकास परिषद् के माध्यम से साधन जुटाये जाएं और जुटा कर के ऐसी स्कीमों के लिए काम में लाएँ तो उस में सरकार किस प्रकार से सहायता देगी ?

श्री ज्ञानु प्रताप सिंह : जीयन्, जब तक योजना सामने न हो, उसका खोरा सामने नहीं, जब तक किसी प्रकार का कंसिडरमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो वार्षिकीय आयोगों में है, अगर वे कोई स्कीम बना देंगी है और उन संगठनों की विषयस रीयता है तो जरूर सहायता की जा सकती है।